



हिन्दी व्यूज लेटर

केन्द्रीय मूगा एरी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान

(आई.एस.ओ. 9001:2015 प्रमाणित संस्थान)

केन्द्रीय देशभूमि बोर्ड

वास्तविकालय : भारत सरकार

बाह्यवैद्यकीय : छोयगढ़ (गुजरात)

खंड : V

जनवरी-जून, 2016

राष्ट्रीय कार्यशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम



केन्द्रीय मूगा एरी अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान, लाहौदोईगढ़, जोरहाट में दिनांक 21 से 23 मार्च, 2016 को कीटों में होनेवाले संक्रमण रोगों के निदान की उन्नत प्रौद्योगिकी पर तीन दिवसीय डी.बी.टी. द्वारा प्रत्यायोजित राष्ट्रीय कार्यशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

उक्त कार्यक्रम में संस्थान के अतिरिक्त असम में स्थित असम कृषि विश्वविद्यालय-जोरहाट, गुवाहाटी विश्वविद्यालय-गुवाहाटी, वर्षा वन अनुसंधान संस्थान-जोरहाट तथा जे.बी. कॉलेज आदि शिक्षण संस्थानों तथा अनुसंधान संस्थानों से स्नातकोत्तर छात्र-छात्राओं, शोधकर्ता विद्वानों तथा युवा संकायों तथा आमंत्रित विशिष्ट व्यक्तियों ने भाग लिया।

श्री बी. चौधुरी, वैज्ञानिक-डी व प्रभारी निदेशक ने स्वागत भाषण में संस्थान में कार्यान्वयित विभिन्न अनुसंधानीय गतिविधियां के बारे में सूचित करते हुए कहा कि यह संस्थान देश का एकमात्र ऐसा संस्थान है जो वन्य रेशम अर्थात् मूगा व एरी संवर्धन पर अनुसंधान व विकासमुक्त कार्य कर रहा

है तथा इस संस्थान में विकसित नयी-नयी परियोजनाएं रेशम कृषकों को उनके प्रक्षेत्र में अधिक रेशम उत्पादन करने तथा अपने कृषि कार्य में अतिरिक्त आय अर्जन के लिए प्रेरित व प्रसारित करता आ रहा है।

इस अवसर पर कीटों में होनेवाले संक्रामक रोगों के निदान की उन्नत प्रौद्योगिकी के विषय बिन्दुओं पर डॉ. (श्रीमती) आर. दास, वैज्ञानिक-डी, डॉ. एम.चुतिया, वैज्ञानिक-सी, डॉ. राजेश कुमार, वैज्ञानिक-सी, डॉ. डी.के. गोगोई, वैज्ञानिक-सी, डॉ. सुब्रह्मण्यम, वैज्ञानिक-बी, श्री जीवन बी, वैज्ञानिक-बी ने अपना व्याख्यान दिया।

कार्यशाला के समाप्त समारोह में आमंत्रित डॉ. आर.एस.सी., निदेशक, वर्षा वन अनुसंधान संस्थान, जोरहाट ने अपने भाषण में मूगा एरी अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान, लाहौदोईगढ़ में अनुसंधान संबंधी उपलब्ध विभिन्न उपकरण के बारे में बताया तथा उपस्थित स्नातकोत्तर छात्र-छात्राओं, शोधकर्ता विद्वानों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि वे भविष्य में इस संस्थान से अनुसंधान से जुड़े कई अद्यतन सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं और इसका यथोचित उपयोग कर लाभान्वित हो सकते हैं।

संस्थान में आयोजित हिन्दी कार्यशाला

संस्थान में दिनांक 28 अप्रैल, 2016 को सुबह 11.00 बजे हिन्दी कार्यशाला सह-अधीनस्थ इकाइयों के अधिकारियों व प्रभारियों के बीच ई ओ.एम बैठक आयोजित हुई। इस अवसर पर संस्थान के सभी अधिकारी व कर्मचारियों के अतिरिक्त अधीनस्थ इकाइयों के प्रभारी अधिकारियों तथा प्रतिनिधि सदस्यों ने भाग लिया।

कार्यशाला की उद्देश्य व्याख्या करते हुए संस्थान के श्री गजेन टाये, क.हि.अनुवादक ने कहा कि पिछली बैठक में निर्णय लिया गया था कि संस्थान के अधीनस्थ इकाइयों से प्राप्त हिन्दी प्रयोगात्मक प्रयोग संबंधी रिपोर्ट की समीक्षा में पायी गई कमियों पर अधीनस्थ इकाइयों के प्रभारी अधिकारियों की चर्चा के लिए ई.ओ.एम. बैठक आयोजित किया गया।



संस्थान में पहली बार आयोजित हिन्दी कार्यशाला-सह-अधीनस्थ इकाइयों के अधिकारियों की बैठक (EOM)

कार्यशाला में आमंत्रित श्री अजय कुमार, राजभाषा अधिकारी, निस्ट ने कार्यालयीन हिन्दी तथा तस्वीरी प्रयोग के बारे में बताया जिससे प्रतिभागियों को लाभ हो। उक्त कार्यशाला-सह-ई ओ.एम बैठक में इकाइयों में हुई प्रगति पर परिचर्चा की गयी तथा संबंधित प्रभारी अधिकारियों को सुझाव दिया गया कि वे तत्काल सुझावों पर कार्रवाई करें।

कार्यशाला

(अप्रैल-जून तिमाही में दूसरी तिमाही कार्यशाला)

संस्थान में दिनांक 29 जून, 2016 को एक हिन्दी कार्यशाला आयोजित की गई जिसकी अध्यक्षता संस्थान के वैज्ञानिक-डी डॉ. रंजना दास ने की। उक्त कार्यशाला में श्री अजय कुमार, राजभाषा अधिकारी व सचिव, निस्ट, जोरहाट को आमंत्रित किया गया। इस दौरान संस्थान के सभी अधिकारी व कर्मचारी वर्ग भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर कक्षा की शुरूआत करते हुए श्री अजय कुमार द्वारा भारत की राजभाषा की स्थिति तथा प्रत्येक प्रदेशों की राजभाषा और राजभाषा संबंधी संवैधानिक प्रगति के संबंध में कार्यशाला में उपस्थित प्रतिभागियों को जानकारी दी गयी।

उन्होंने यह भी कहा कि जिस तरह संघ शासित राज्यों में राजभाषा

हिन्दी का प्रयोग होता है उसी तरह प्रत्येक प्रदेशों में राज काज चलाने के लिए अपनी-अपनी राजभाषा की अहमियत है। उनका यह भी मानना है कि राजभाषा विभाग इस बात पर सदा ध्यान देती आ रही है कि भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और हिन्दी भाषा की प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिन्दुस्तानी के और संविधान की आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं के प्रयुक्त रूप, जैली और पदों को उसमें मिलाते हुए और जहां आवश्यक या वांछनीय हो उसके शब्द भंडार मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित की जाए।

क्षेत्रीय एरी अनुसंधान केन्द्र, शादनगर में आयोजित हिन्दी कार्यशाला

क्षेत्रीय एरी अनुसंधान केन्द्र, शादनगर में दिनांक 20 जून, 2016 को सुबह 11.00 बजे हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता डॉ. प्रवीण कुमार कल्ला, वैज्ञानिक-डी ने की। उक्त कार्यशाला में उपस्थित जनों में से डॉ. बी. श्रीनाथ, वैज्ञानिक-डी तथा मुख्य अतिथि के रूप में रफा सुलताना, प्रधान अध्यापिका, कृष्ण बैणी टेलेट स्कूल, शादनगर उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरूआत करने से पूर्व श्रीमती एन.के. तयामणी, तकनीकी सहायक ने सभी उपस्थित अतिथि तथा अधिकारी व कर्मचारियों का स्वागत किया।

मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित प्रधान अध्यापिका रफा सुलताना ने कहा कि राजभाषा हिन्दी का प्रसार व प्रचार के तहत हिन्दी सीखने व जानने के लिए शादनगर क्षेत्र में हिन्दी का एक प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना किए जाने पर विचार किया जा सकता है जिससे अध्यापक, शिक्षक, छात्रों और कार्यालय के कर्मचारी को हिन्दी सीखने में मदद मिलेगी। उनका यह भी मानना है कि अगर यहां की शिक्षा व्यवस्था में तीसरी कक्षा से बच्चों को हिन्दी सिखाए जाए तो आसानी से हिन्दी सीख पाएंगे।

अध्यक्षीय भाषण में डॉ. प्रवीण कुमार कल्ला ने कहा कि इस मुद्दे पर मुख्यालय से आगे चर्चा की जायेगी। उन्होंने कहा कि हिन्दी सरल, सुव्योध तथा आसान भाषा है जो देश के अन्य व्यक्ति से बात-चीत करने तथा अपना भाव व्यक्त करने का सबसे आसान तथा अच्छा माध्यम है। हिन्दी भाषा सीखने के लिए हिन्दी व्याकरण का ज्ञान होना जरूरी है ताकि अहिन्दी भाषी लोग हिन्दी में पायी गई लिंग व वचन संबंधी कठिनता को समझ सके तथा इसका उपयोग कर हिन्दी सीख सकें।

डॉ. बी. श्रीनाथ ने कहा कि केन्द्रीय कार्यालय में कार्यरत अधिकारी व कर्मचारी को कार्यालयीन हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान अवश्य होना चाहिए जिससे वे राजभाषा हिन्दी के प्रयोग संबंधी लक्ष्य हासिल कर सकें।

धन्यवाद प्रस्ताव के साथ कार्यशाला का समापन किया गया।

केंद्रीय मूगा-एरी अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान, केंद्रीय रेशम बोर्ड लाहौदोईगढ़ ने जोरहाट में तीन दिवसीय विश्व पर्यावरण दिवस मनाया

जोरहाट। विवर पर्यावरण दिवस ५ जुलाई का मनाव का संकलन ऐसे ही कीटोंवाले पानी अमृतसरेंग व प्रशासन सम्बन्ध, लालदारीहाट, जोरहाट से लालों को कैप्चर रखने वाले नेत्र वस्त्र का एक अत्यधिक विशेषज्ञ विद्युत उत्पादक विद्युत अधिकारी तीन वर्षों से आज तक इस विवरण में विवरण दिवस का अवधारणा किया जाता है।
पि.संसदी वह कह जा सकता है कि आज विवर में जलवाया विवरण से मोहल्ले कीमत होने लगा है तथा इसमें जूँड़ कई

तो उन को पर्यावरण मंत्रालय के प्रीटी जागरूकता लले देने के लिए यात्रा-एरी अनुप्रयोग व प्रशिक्षण मंत्रालय, लालबांध द्वारा समर्पित के लिए स्विट सकारों व ग्र-सामाजिक समूह-संघों एवं समाजिक संगठनों में पूरा ध्यान देने पुराणे में विवरित किया गया। इन समूह तक कलेक्टरों को पूरा ध्यान देने पुराणे में विवरित किए गए उन समूह के कलेक्टरों के छात्र-छात्राओं के

संस्थान के प्रति जागरूकता लेने को दृष्टि से संस्थान के सभी कर्मचारियों हाथ में लट्ठग और ऊपर से विभिन्न प्रयोग इकाई को अंग घरवाल किया। इसी दिन संस्थान के कर्मचारियों द्वारा संस्थान, इकाई विभिन्न दो तरफ बढ़ावा देने वाली एक विभिन्न पारिश के परिसर में संस्थान स्थापित हुई। एडम और प्रबन्ध वैज्ञ वैज्ञ के अधिकारिक काल के पीछे रोमन कियर गए। इस सिविलिसेस में संस्थान

कर्मवारियों में अवलंब की कि वे अन्न-अपने होते में पश्चात्यर संसरणके कारण को इमानुद्दीन से निपाइ। इस अवलंब पर मुख्य अतिरिक्त के रूप में वह बद्ध अनुभव संस्थान, एक भवित्व के निपाइकरण है। अतिरिक्त व्यवहार उपरिकार हो जाता उन्हें अपने भाषण में कहा जाता है कि वे अपने दैविक कारण के जरूर पश्चात्यर संसरण करते में पश्चात्यर हमें में संसार का सक्ति है। संसार में



विश्व पर्यावरण दिवस के संदर्भ में हिन्दी दैनिक पूर्वाचल प्रहरी में प्रकाशित समाचार की झलक।

केन्द्रीय मूगा एरी अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान में तीन दिवसीय विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया

-श्री गजेन टाये

विश्व पर्यावरण दिवस (5 जून) मनाने का संकल्प लेते हुए केन्द्रीय मुगा एरी असुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान, लाहौदोईगढ़, जोरहाट में पहली ब एक केन्द्रीय रेखम बोर्ड नेचर क्लब (Central Silk Board Nature CLUB) के जरिए दिनांक 3.06.2016 से 5.06.2016 तक तीन दिवसीय विस्तृत कार्यक्रम के साथ विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन किया गया।

निःसंदेह यह कहा जा सकता है कि आज विश्व में जलवायु परिवर्तन से ग्लोबल वार्मिंग होने लगा है तथा इससे जुड़े कई कारणों में वन तथा जंगल की निरन्तर कटाई करना तथा नद-नदियों में दूषित पानी आदि शामिल है। वन विध्वंस से धरती में कई प्रकार का प्रदूषण होने लगा है। अब धरती पर मनुष्य, समस्त जीव जन्तुओं और पेड़-पौधे का जीवित रहना मुश्किल ही नहीं बल्कि असंभव सा होने जा रहा है।

इसका प्रभाव धीरे-धीरे रेखम उद्योग अर्थात् मग्ना, एवं तथा शहतत

जैसे रेशम कीटपालन में भी परिलक्षित हो रहा है। संस्थान द्वारा विकसित नवीनतम प्रौद्योगिकियों से किए गए कीटपालन में प्रति वर्ष अधिक गर्मी के कारण कीटों की क्षति पूर्व से अधिक होने लगी है तथा इस उद्योग से जुड़े विभागीय कर्मचारी, वाणिज्यिक संगठनों तथा कृषकों को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है।

इसी मकासद को लेकर दिनांक 3.06.2016 को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता लाने हेतु केन्द्रीय मूगा एरी अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान, लाहौदोईगढ़ द्वारा संस्थान के निकट स्थित सरकारी व गैर-सरकारी स्कूल, कॉलेज और सामाजिक स्थानों में मूगा खाद्य पौधे मुफ्त में वितरित किए गए। जिन स्कूल तथा कॉलेजों को मूगा खाद्य पौधे मुफ्त में वितरित किए गए उन स्कूल व कॉलेजों के छात्र-छात्राओं के बीच पर्यावरण संरक्षण पर जागरूकता लाया गया तथा उन पौधे की रोपन की विधि और इसके रखरखाव प्रणाली संबंधी जानकारी से विद्यार्थियों को अवगत कराया गया। इस संबंध में संस्थान तथा सामाजिक प्रतिष्ठान द्वारा किए गए प्रयास सही मायने में सराहनीय रहा है।

इस दिवस के दौरान जनसाधारण को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता लाने की दृष्टि से संस्थान के सभी कर्मचारी वर्ग हाथ में फलैग लेकर विभिन्न ग्रामीण इलाके की ओर पदयात्रा किया। उसी दिन संस्थान के कर्मचारीवर्ग द्वारा संस्थान, इसके निकट स्थित दो फार्मों तथा चेनीजान स्थित फार्म के परिसर में सोम, स्वालू, एंड और पायम जैसे खाद्य पौधे के अतिरिक्त फल के पौधे रोपन किए गए। इस सिलसिले में संस्थान द्वा 10,000 पौधे उगाने का लक्ष्य रखा गया है।

संस्थान में दिनांक 4 जून, 2016 को केन्द्रीय रेशम बोर्ड नेचर क्लब (Central Silk Board Nature CLUB) की और विव पर्यावरण दिवस का औपचारिक उद्घाटन करते हुए संस्थान के निदेशक डॉ बी.के.सिंह ने दिवस के उद्देश्य का व्याख्यान देते हुए पर्यावरण संरक्षण से संबंधित विभिन्न विषयों पर प्रकाश डाला। उन्होंने अपने अधिकारी व कर्मचारियों से अपील की कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण के कार्य को इमानदारी से निभाए। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित डॉ आर.एस. सी.

जयराज, निदेशक, वर्षा वन्य अनुसंधान संस्थान, जोरहाट उपस्थित रहे तथा उन्होंने अपने भाषण में कहा कि हम अपने दैनंदिन कार्य के जरिए पर्यावरण संरक्षण करने में पर्याप्त रूप में सहयोग कर सकते हैं।

संस्थान में दिनांक 4.06.2016 को विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून के विषय पर प्रस्तोतारी और वाद-विवाद जैसी प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई जिसमें संस्थान के सभी अधिकारी व कर्मचारियों ने भाग लिया तथा विजित अधिकारी व कर्मचारीवर्ग को पुरस्कार प्रदान किया गया।

इस कार्यक्रम के क्रम में दिनांक 5.06.2016 को चेनीजान स्थित संस्थान के चेनीजान फार्म तथा तिताबर, जोरहाट स्थित प्रक्षेत्र प्रयोगशाला के आवासीय क्षेत्र में रहे सभी कर्मचारीवर्ग ने वृक्षारोपण किया। इस अवसर पर भिन्न-भिन्न अनुष्ठान तथा प्रतिष्ठानों से संबंधित वक्तियों के अतिरिक्त आम जनता से अपील की गई कि केन्द्रीय रेशम बोर्ड नेचर क्लब (Central Silk Board Nature CLUB) द्वारा आगे भी आयोजित किए जाने वाले पर्यावरण संबंधी कार्यक्रम में सहयोग करते रहें। ■

संस्थान में विश्व योग दिवस मनाया

- गजेन टाये



योग अभ्यास करते समय संस्थान के अधिकारी तथा कर्मचारी ध्यान की मुद्रा में।

संस्थान में दिनांक 21 जून 2016 को विश्व योग दिवस मनाया गया। इस उपलक्ष्य में आयोजित बैठक का संस्थान के डॉ बी.के. सिंह, निदेशक ने शुभारंभ किया।

श्री श्याम सिंह, सहायक निदेशक (प्र व ले) ने योग के बारे में संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करते हुए कहा कि योग भारत की पुरानी संस्कृति है जो भारत में लगभग 600 वर्षों से प्रचलित है और आज इसका विकास बढ़ पैमाने में होने लगा है। विश्व के बहुत से देश के लोग भी इसकी महत्ता को

मानते लगे हैं। उन्होंने कहा कि योग शब्द से योग की उत्पत्ति हुई है जिसका अर्थ है जोड़ना अर्थात् शरीर को आत्मा से तथा आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। साधारणतः योग आठ प्रकार के होते हैं। उनमें से कुछ सरल आसन जैसे सूर्य नमस्कार तथा ध्यान व प्राणायाम आम लोग के लिए उपयोगी हैं।

उक्त कार्यक्रम के दौरान श्री श्याम सिंह, सहायक निदेशक (प्र व ले) के तत्त्वावधान में योग के अन्तर्गत सूर्य नमस्कार, ध्यान तथा प्राणायाम का संस्थान के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के बीच अभ्यास कराया गया।

राजभाषा नीति संबंधी आदेश

(क्रमशः)

2.4 भारत में हस्ताक्षर किए जाने वाले अन्तर्राष्ट्रीय करारों और संधियों का हिन्दी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार किया जाना।

(1) मंत्रालय /विभाग संधियों और करारों के अंग्रेजी पाठों का हिन्दी अनुवाद तैयार करें और विदेश मंत्रालय के विधि और संधि प्रभाग में जांच कराएं। भारत में हस्ताक्षर की जाने वाली सभी अन्तर्राष्ट्रीय संधियों और करारों के लिए अंग्रेजी के अतिरिक्त हिन्दी का प्रयोग किया जाए किन्तु निम्नलिखित को हिन्दी में निष्पादित न करने की छूट है :-

(क) विदेशों में की गई संधियों और करार,

(ख) तत्काल प्रकार की संधियां और करार जिनका समयाभाव के कारण हिन्दी अनुवाद तैयार करना संभव नहीं।

(ग) बहुपक्षीय अभसमय, और

(घ) रक्षा मंत्रालय की संधियां और करार। किन्तु

(क), (ख), (ग) में उल्लिखित कागज का हिन्दी अनुवाद अभिलेखों में रखने के लिए करवाया जाएगा।

(2) राजभाषा अधिनयम, 1963 के अधीन सब करारों और संधियों में अंग्रेजी के अलावा हिन्दी का प्रयोग आवश्यक है। फिर भी, निर्वाचन के संबंध में कोई मतभेद न हो, इसके लिए केवल मात्र किसी एक पाठ को प्रामाणिक समझना वांछनीय होगा।

इसलिए अंग्रेजी से भिन्न भाषा-भाषी देशों के साथ उनकी अपनी भाषा, अंग्रेजी और हिन्दी में किए जाने वाले करारों और संधियों में यह व्यवस्था करना उचित होगा कि विवाद की स्थिति में अंग्रेजी पाठ प्रामाणिक होगा। अंग्रेजी भाषी देशों के साथ किए जाने वाले करार और संधियों में हिन्दी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं का प्रयोग करने और दोनों पाठों को प्रामाणिक मनवाने के प्रयत्न किए जाएं। हां, यदि दूसरा पक्ष इस बात पर आग्रह करें कि केवल अंग्रेजी के पाठ को प्रामाणिक माना जाए जो उसे फिलहाल स्वीकार कर लिया जाए।

[का. ज्ञा. सं 16/21/70 रा.भा. दि. 31-12-1970 - क्रम सं-17]

[का. ज्ञा. सं 16/21/70 रा.भा. दि. 24-12-1972 - क्रम सं-18]

2.5 क क्षेत्र में चेक/ड्राफ्ट हिन्दी में तैयार किया जाना

क. क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों द्वारा सभी चेक यथासंभव हिन्दी में तैयार किए जाएं। क क्षेत्र में स्थित सरकारी बैंकों द्वारा क क्षेत्र के लिए चेक और ड्राफ्ट यथासंभव हिन्दी में जारी किए जाएं।

[का. ज्ञा. सं 1/14011/3/79 - रा.भा. (क-1) दि. 7-2-1981 - क्रम सं-21]

2.6 लिफाफे पर पता हिन्दी में लिखना और पता लिखने, बिल बनाने आदि में मशीनों का प्रयोग

दिल्ली में स्थानीय कार्यालयों और व्यक्तियों तथा अन्य हिन्दी भाषी क्षेत्रों को भेजे जाने वाले पत्रों के लिफाफों पर पते हिन्दी में लिखें जाए। गुजरात, महाराष्ट्र तथा पंजाब राज्यों में स्थित केन्द्रीय कार्यालयों को भेजे जाने वाले पत्रों के पते भी हिन्दी में लिखे जाएं। क तथा ख क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों में पता लेखी-मशीन के साथ देवनागरी एम्बोसिंग मशीनें लगाई जाएं और चूंकि ग क्षेत्र में स्थित कार्यालयों में भी कई बड़े-बड़े कार्यालय ऐसे हैं जिनमें काफी पत्र-व्यवहार के तथा ख क्षेत्रों से होता है अतः ग क्षेत्र में स्थित कार्यालयों में भी द्विभाषी पता लेखी मशीनों का प्रावधान किया जाए।

1. इन मशीनों पर कार्यरत कर्मचारियों के लिए हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जाए। पतालेखी मशीनों पर कार्यरत कर्मचारियों को हिन्दी भाषा का ज्ञान होना चाहिए। अतः ऐसे कर्मचारियों को पतालेखी मशीनों पर हिन्दी भाषा में काम करने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण देने के लिए पतालेखी मशीन कम्पनियों से अनुरोध किया जाए।

[का. ज्ञा. सं 15/50/62 रा.भा. दि. 30-07-1962 - क्रम सं- 22]

[का. ज्ञा. सं 6/50/69 रा.भा. दि. 24-11-1969, क्रम सं-23]

[का. ज्ञा. सं 11015/51/72/- रा.भा. (ख) दि. 27-6-1973, क्रम सं- 24]

[का. ज्ञा. सं 12015/9/76 - रा.भा. (ख) दि. 16-11-1976, क्रम सं- 86]

[का. ज्ञा. सं 12024/4/90/- रा.भा. (ख-2) दि. 16-5-1990]

2.7 मंत्रालय /विभागों द्वारा उनके अधीनस्थ कार्यालयों व निगमों की द्विभाषी सूची प्रकाशित करना

पत्रों के लिफाफों पर पता हिन्दी में लिखने में प्रेषण अनुभाग की सुविधा के लिए प्रत्येक मंत्रालय /विभागों अपने अधीन कार्यालयों /निगमों की सूची द्विभाषी रूप में बनाएं और अपने सभी कार्यालयों में इसे वितरित कर दें। सूची के एक कालम में कार्यालयों आदि के अंग्रेजी में नाम और पता और दूसरे कालम में उनके हिन्दी नाम व पता देवनागरी लिपि में रहें। जहां किसी कार्यालय का हिन्दी नाम मालूम न हो तो अंग्रेजी नाम ही देवनागरी लिपि में लिखा जा सकता है।

कहीं कहीं बहुधा काम आने वाले पतों की सूचियां साइक्लोस्टाइल करवा ली जाती है और उनके अंश काटकर लिफाफों पर चिपका दिए जाते हैं। ऐसे पते जो हिन्दी भाषी क्षेत्रों और गुजरात, महाराष्ट्र व पंजाब में स्थित

कार्यालयों से संबंधित हों उनके अंश हिन्दी में टाइप कराके, साइक्लोस्टाइल कराके प्रेषण अनुभाग को देना सुविधाजनक रहेगा ताकि उन्हें काटकर लिफाफों पर चिपकाया जा सके।

[का. झा. सं 12015 / 5 / 75 - रा.भा. (ख) दि. 12-3-1975, क्रम सं- 25]

2.8 नाम पटृ रबड़ की मोहरें, कार्यालय की मुद्राएं, पत्र शीर्ष और लोगो (प्रतीक) प्रकाशित करना

(1) भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों तथा अन्य कार्यालयों में प्रयोग में आने वाली सभी रबड़ की मोहरें और कार्यालय की मुद्राएं द्विभाषीक रूप में हिन्दी के शब्द उपर रखते हुए प्रयोग की जाए।

(2) कार्यालय का नाम, पता आ के बे में जो मोहरें वर्तमान आदेशों के अनुसार द्विभाषी रूप में बनाई जाएं कि उनमें एक पंक्ति हिन्दी की और फिर एक पंक्ति अंग्रेजी में लिखा हो। ये निर्देश नई बनाई जाने वाली मोहरों पर लागू किए जाएं।

(3) बैंकों के चेकों पर यदि द्विभाषी मोहरें लगाने के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध न हो तो क तथा ख क्षेत्रों के कार्यालयों आदि में चेकों पर मोहरें केवल हिन्दी में और ग क्षेत्र के कार्यालयों में केवल हिन्दी या अंग्रेजी में लगा दी जाएं।

(4) जो मोहरें टिप्पणी आदि की जगह पर बनाई जाती हैं वे या तो द्विभाषी बनाई जाएं या क तथा ख क्षेत्रों के कार्यालयों आदि में केवल हिन्दी में और ग क्षेत्र के कार्यालयों में केवल हिन्दी या अंग्रेजी में बनवा ली जाएं।

(5) रबड़ की मोहरें तैयार करते समय सभी भाषाओं के अक्षर समान आकार के होने चाहिए।

(6) क तथा ख क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों में नाम पटृ रबड़ की मोहरें, पत्र शीर्ष, लोगो (प्रतीक) आदि द्विभाषी रूप में बनवाएं जाएं।

(7) ग क्षेत्र में स्थित कार्यालयों में नाम पटृ रबड़ की मोहरें, पत्र शीर्ष, लोगो (प्रतीक) आदि त्रिभाषी रूप में बनवाएं जाएं।

[का. झा. सं 559 / 5 / 68 - रा.भा. (क-1) दिनांक 17-10-1968, क्रम सं-27]

[का. झा. सं 1 / 14013 / 18 / 85 - रा.भा. (क-1) दिनांक 14-1-1985, क्रम सं- 31]

[का. झा. सं 1 / 14034 / 1 / 87 - रा.भा. (क-1) दिनांक 30-12-1987, अनुपूरक संकलन क्रम सं- 188]

का.झा. सं 12024 / 2 / 92 -रा.भा. (ख-2) दिनांक 21-7-1992]

2.9 नाम पटृ रबड़ की मोहरें आदि पर देवनागरी रूप में नाम लिखने की विधि -

देवनागरी के नाम पटृ मोहरों आदि पर पूरा नाम तो एक रीति से लिखा जा सकता है, परन्तु संक्षिप्त नाम लिखने के लिए अनेक पद्धतियां प्रचलित हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति का नाम दीनानाथ शर्मा है, तो देवनागरी लिपि में उसका संक्षिप्त नीचे दिए हुए विकल्प में से किसी एक के अनुसार लिखा जा सकता है:-

(1) देवनागरी वर्णमाला के अनुसार, मात्राओं का प्रयोग करते हुए, आद्य अक्षर लिख कर जैसे, दी.ना. शर्मा।

(2) देवनागरी वर्णमाला के अनुसार, बिना मात्राओं के प्रयोग के आद्य अक्षर लिखकर जैसे- द.एन.शर्मा।

(3) नाम के आद्य अक्षर रोमन वर्णमाला के अनुसार देवनागरी लिपि में लिखकर जैसे डी.एन. शर्मा।

यह प्रत्येक की अपनी रूचि पर निर्भर करता है कि वह अपना नाम किस प्रकार लिखें। यदि कोई व्यक्ति अपना नाम किसी एक रीति से लिखना चाहता है तो उसे दूसरी रीति से नाम लिखने को बाध्य नहीं किया जा सकता है।

संस्थान में विदेशी पर्यटकों का आगमन



टोक्यो विश्वविद्यालय, टोक्यो, जापान से आए विशिष्ट व्यक्ति तथा वैज्ञानिक ने संस्थान में रेशम उत्पादन तथा इसकी विकसित प्रौद्योगिकी का जायजा लिया जिसमें हमारे संस्थान के युवा वैज्ञानिक भी शामिल हैं।



टोक्यो विश्वविद्यालय, टोक्यो, जापान से आए विशिष्ट व्यक्ति तथा वैज्ञानिकों ने संस्थान के रेशम उत्पादन तथा इसकी विकसित प्रौद्योगिकी का जायजा लिया।



बरबाम, डिब्बुगढ़ में रेशम संसाधन केन्द्र



चराइदिउ, शिवसागर में दिनांक 20.01.2016 को आयोजित मूगा कृषकों के प्रक्षेत्र क्षयक्रम



श्रीमती सुशीला का निवास, जालजरी, गोलाघाट में एरी कोसा बैक का आरंभन।

सेवानिवृत्त व स्थानांतरण

बोर्ड की सेवा से सेवानिवृत्त अधिकारी व कर्मचारी।

1. श्री केशव चन्द्र दास, वरिष्ठ तकनीकी सहायक के.मू.ए.अ.व प्र.सं, अनुसंधान विस्तार केन्द्र, लखीमपुर दिनांक 31.03.2016 को बोर्ड की सेवा से सेवानिवृत्त हुए।
2. श्री सदानन्द गोगोई, सहायक तकनीशियन के.मू.ए.अ.व प्र.सं, लाहदोईगढ़, जोरहाट से दिनांक 31.05.2016 को बोर्ड की सेवा निवृत्त हुए।

केन्द्रीय मूगा अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान, लाहदोईगढ़ से स्थानांतरित अधिकारी व कर्मचारी

1. श्री बी. चौधुरी, वैज्ञानिक-डी
2. डॉ एन.आई. सिंह, वैज्ञानिक-डी
3. श्री निर्मल चन्द्र सशक्तिया, तकनीकी सहायक
4. श्रीमती बिजू दास, तकनीकी सहायक



मूगा कीटपालन के कुछ दृश्य

संपादक

डॉ. राजेश कुमार व श्री गजेन टाये

डॉ. बी.के. सिंह, निदेशक द्वारा प्रकाशित

केन्द्रीय मूगा एरी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान

(आई.एस.ओ. 9001:2008 प्रमाणित संस्थान), केन्द्रीय रेशम बोर्ड

वस्त्र मंत्रालय : भारत सरकार, लाहौदेर्गढ-785700, जोरहाट (असम)

दूरभाष : 0376-2335513

ई-मेल : cmerti@rediffmail.com, cmertilad.csb@nic.in ■ वेबसाइट : www.cmerti.res.in



मुद्रण : लेजर किरण, जोरहाट, फोन : 8752882543